न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 939/2024

अनवान : –

1. राम लाल पुत्र जय लाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -02/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 102/101 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 573/4592 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र जयलाल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम राम लाल पुत्र जय लाल है, जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम राम लाल पुत्र जय लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम रामेश्वर पुत्र जयलाल दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम राम लाल पुत्र जय लाल है, जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम राम लाल पुत्र जय लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम राम लाल पुत्र जय लाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 102/101 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 573/4592 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी अपना नाम रामेश्वर पुत्र जयलाल के स्थान पर राम लाल पुत्र जय लाल दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम राम लाल पुत्र जय लाल अंकित है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 102/101 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 573/4592 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम रामेश्वर पुत्र जयलाल के स्थान पर राम लाल पुत्र जय लाल के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रामेश्वर पुत्र जयलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामेश्वर पुत्र जयलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम रामेश्वर पुत्र जयलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 939 / 2024
अनवान : –

1. राम लाल पुत्र जय लाल जाति जाट निवासी जनानिया तहसील नोहर।

–**वादी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 939 सन 2024 निर्णय दिनांक --02/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 102/101 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 140/46 की कुल 22.9600 हैक्ट भूमि में से 573/4592 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम रामेश्वर पुत्र जयलाल के स्थान पर राम लाल पुत्र जय लाल के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच रामेश्वर पुत्र जयलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का रामेश्वर पुत्र जयलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम रामेश्वर पुत्र जयलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:09:07 IST
Reason: SelfAttested